The above decisions of the CSIR have been communicated to all the National Laboratories/Institutes of the CSIR.

Their other grievances refer to Elections to the CSIO Club, proper canteen facilities, confirmation of staff and likewise etc. which are being looked into.

The Senior officers of CSIO, Chandigarh and the CSIR have had a series of meetings with the various members of the "Union". The "Union" leaders had also met the Director-General, CSIR at New Delhi. The Vice-President, CSIR and Minister of Education and Social Welfare also held talks with the representatives of the "Union" and the CSIR on 13-7-1977.

The CSIR has received communications from the following unrecognized Union/Associations:

(1) Central Drug Research Institute, Lucknow.

(2) National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.

(3) CSIR Scientific Worker's Association.

(4) National Physical Laboratory, New Delhi.

(5) Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani.

(6) Central Electro-Chemical Research Institute, Karaikudi.

The onus lies on the so-called 'Unions'. They have to recognise the position that in a scientific body they cannot function as Unions but must conform to the formalities and conditions of recognition of Service Associations.

देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

5141. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय स्तर की भांति राज्य व जिले स्तर पर भी विकास बोर्डों की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने कतिपय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सांविधिक प्राधिकारणों या सलाहकार परिषदों/समितियों/बोर्डों की स्थापना की है । इनके अतिरिक्त, राज्य योजना बोर्ड/आयोग और जिला योजना बोर्ड/परिषदें/समितियां भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं से संबद्ध रहते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य	योजना तंत्र/विकास प्राधिकरणों का ब्यौरा
आन्ध्र प्रदेश	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) तीन क्षेत्रीय आयोजन और विकास समितियां
	(ख) रायलसीमा विकास बोर्ड
	(ग) तेलंगाना विकास बोर्ड
असम	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) असम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित योजना बोर्ड
	(ख) उप-प्रभागीय स्तर पर योजना और समीक्षा बोर्ड

1	2
बिहार	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. छोटा नागपुर और संथाल परगना के विकास से संबधित विकास प्राधिकरण
हरियाणा	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना सलाहकार बोर्ड
	(ख) जिला योजना समितियां
	(ग) जिला कार्यकारी परिषद्
हिमाचल प्रदेश	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. जिला विकास समितियां
जम्मू और कश्मीर	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. जिला योजना समितियां
कर्नाटक	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना समितियां
	(ख) जिला विकास परिषदें
केरल	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. राज्यस्तर पर जिला योजना एकक
मध्य प्रदेश	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना बोर्ड
	(ख) जिला योजना दल
	(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र	1. राज्य योजना और विकास परिषद्
	2. (क) जिला योजना और विकास परिषद्
	(ख) मराठवाड़ा विकास निगम
	(ग) विदर्भ विकास निगम
	(घ) कोंकण विकास निगम
	(ङ) पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम
मणिपुर	राज्य योजना सलाहकार समिति
मेघालय	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. जिला योजना बोर्ड
नागालैंड	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. जिला योजना बोर्ड
उड़ीसा	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला विकास समितियां
	(ख) जिला विकास बोर्ड
पंजाब	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना समिति
	(ख) ग्रामीण विकास बोर्ड और विशेष सलाहकार समिति
	(ग) (1) उप-पर्वतीय क्षेत्रों
	(2) सीमा क्षेत्रों और
	(3) बैत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार परिषदें

1	2
राजस्थान	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना समितियां
	(ख) जिला विकास अभिकरण
तमिलनाडु	1. राज्य योजना आयोग
	2. (क) जिला योजना कक्ष
	(ख) धरमपुरी विकास निगम
त्रिपुरा	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. खंड विकास समितियां
उत्तर प्रदेश	1. राज्य योजना आयोग
	2. (क) प्रभाग योजना समितियां
	(ख) जिला योजना कार्यान्वियन समितियां
	(ग) उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास बोर्ड
	(घ) तीन क्षेत्रीय विकास परिषदें
	(ङ) प्रभाग विकास निगम
पश्चिम बंगाल	1. राज्य योजना बोर्ड
	2. (क) जिला योजना समितियां
	(ख) उत्तर बंगाल विकास बोर्ड
	(ग) सुंदर बन विकास बोर्ड

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद को समाप्त करना

5141. **श्री रामलाल राही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए आयुक्त का पद संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए बनाया गया था ;

(ख) क्या आयुक्त ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और क्या उनका पद संयुक्त राष्ट्र संगठन के निदेश पर समाप्त किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त पद को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 338 में निहित उपबंधों के अनुसार की जाती है । उसके कार्य, जैसे उक्त अनुच्छेद में निर्धारित किये गये हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना और राष्ट्रपति के निदेशानुसार कालान्तरा पर इन संरक्षणों के कार्यकरण पर उनको रिपोर्ट भेजना है । यह पद संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी निदेश अधीन नहीं बनाया गया है और उनके निदेश पर इसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Use of foreign brand names in Indigenous Products

5142. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government had decided not to allow the use of foreign brand names to be used for products indigenously manufactured;

(b) if so, the names of firms who are using foreign brand names for their products indigenously manufactured; and